जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति, बच्चे, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम), औरंगाबाद (बिहार)।

नियमित जमानत आवेदन संख्या–31/2026

अम्बा थाना काण्ड संख्या–269/2023

18.03.2026 प्रस्तुत जमानत आवेदन काराधीन अभियुक्त आलोक कुमार की ओर से दिनांक–07.01.2026 को दाखिल किया गया है, जो दिनांक–22.11.2025 से कारा में निरोधित है। जमानत आवेदन की प्रतिलिपि विद्वान विशेष लोक अभियोजक को दी गई है। पुकार पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक न्यायालय में उपस्थित हुए।

पुकार पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदक निर्दोष है। आवेदक के द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1702/2025 को दिनांक–08.08.2025 को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। आवेदक के विरूद्ध इस वाद के अतिरिक्त अन्य अपराधिक मुकदमा भी दर्ज है। आवेदक के विरूद्ध इस वाद में वर्णित धाराएँ लागू नहीं होता है। आवेदक दिनांक–22.11.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उक्त मुकदमा अम्बा थाना कांड संख्या–268/2023 का पलटा मुकदमा है। अतः आवेदक/अभियुक्त को किसी भी राशि के बंधपत्र पर जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया और कहा गया कि अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति का है। सूचक/पीड़ितगण आज न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं है।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख पर संधारित मूल वाद अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त जमानत आवेदन, अम्बा थाना कांड संख्या–269/2023 अंतर्गत धारा 341, 323, 385, 186, 504, 506/34 भा0दं0सं0 एवं एवं धारा 3(1)(r)(s)/3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। इस वाद के सूचक जो ग्राम पंचायत परता के मुख्या है के द्वारा सार्वजनिक नाली निर्माण में अभियुक्त के द्वारा विरोध करते हुए सूचक एवं अन्य के विरूद्ध जाति सूचक शब्द का गाली देते हुए, मारपीट किया गया है, का आरोप है। सूचक एवं अभियुक्त के बीच परस्पर पलटा मुकदमा (अम्बा थाना कांड संख्या–268/2023) दर्ज है। अभियुक्त का अपराधिक इतिहास है लेकिन वह दिनांक–22.11.2025 से कारा में निरोधित है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों तथा कारा संसीमन अवधि पर विचार करते हुये, आवेदक/अभियुक्त आलोक कुमार को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएव (10000X2) दस–दस हजार रूपये के दो विश्वसनीय जमानतदारों एवं उतने ही धनराशि के बंध पत्र दाखिल किये जाने पर संबंधित विद्वान न्यायालय की संतुष्टि पर उक्त आवेदक/अभियुक्त को, जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि अभियुक्त साक्ष्य व साक्षी को प्रभावित नहीं करेगा, अनुसंधान में सहयोग करेगा, वाद के विचारण एवं निष्पादन में पूर्णतः सहयोग करेगा एवं प्राप्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा।

आदेश की तिथि	18.03.2026
आदेश सुरक्षित रखने की तिथि	नही
अपलोड करने की तिथि	19.03.2026
द्वारा अपलोड किया गया	स्टेनोग्राफर

लेखापित

(विश्व विभूति गुप्ता),
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति,बच्चे, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम),औरंगाबाद।
18.03.2026